

# HRA AN USIUS The Gazette of India

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**ਚੰ. 161]** No. 161] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2006/वैत्र 30, 1928 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2006/CHAITRA 30, 1928

# संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2006

सा.का.नि. 233(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 23 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के परामर्श से, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (लेखाओं का वार्षिक विवरण और अभिलेखों का प्ररूप) नियम, 1999 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 236(अ), तारीख 31 मार्च, 1999 द्वारा प्रकाशित हुए थे, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (लेखाओं का वार्षिक विवरण और अभिलेखों का प्ररूप) संशोधन नियम, 2006 है।
  - (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (लेखाओं का वार्षिक विवरण और अभिलेखाओं का प्ररूप) नियम, 1999 के नियम 5 में ''संयुक्त सचिव (वित्त और लेखा)''शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर ''सलाहकार/प्रधान सलाहकार (वित्त विश्लेषण) और आंतरिक वित्त सलाहकार'' शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 10-31/2001-आरईएसटीजी]

पी. के. तिवारी, उप सचिव

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

#### (Department of Telecommunications)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2006

- 1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Amendment Rules, 2006.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In rule 5 of the Telecom Regulatory Authority of India (Form of Annual Statement of Accounts and Records)
  Rules, 1999, for the words, brackets and symbols "Joint Secretary (Finance and Accounts)", the words, letters
  and brackets "Advisor/Principal Advisor (Financial Analysis) and Internal Finance Advisor" shall be substituted.

[F. No. 10-31/2001-Restg]

P. K. TIWARI, Dy. Secy.